# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2020

1. भूपसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सुलतान पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:–असल प्रतिवादी

2. बनवारी पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
4. भागचंद पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जाकिर हुसैन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 27/28 के खसरा सं0 163 की 0.607है0, खसरा सं0 176 की 7.6380है0, खसरा सं0 285 की 2.6810है0 कुल 10.9260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार रोही घोटडापटटा के खाता सं0 83/83 के खसरा सं0 40/2 की 1.5810है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 भूपसिंह व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी, प्रतिवादी सं0 3 महेन्द्रसिह, प्रतिवादी सं0 4 भागचंद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2020

1. भूपसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:– वादी

**ब ना म**

1. सुलतान पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:–असल प्रतिवादी

2. बनवारी पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
4. भागचंद पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**
वकील श्री जाकिर हुसैन : **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 27.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 27/28 के खसरा सं0 163 की 0.607है0, खसरा सं0 176 की 7.6380है0, खसरा सं0 285 की 2.6810है0 कुल 10.9260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार रोही घोटडापटटा के खाता सं0 83/83 के खसरा सं0 40/2 की 1.5810है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता केशराराम की खातेदारी हुआ करती थी। केशराराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सुलतान ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किय[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर प्रतिवादी सं 1 व 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया[illegible] जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा को[illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु भूपसिह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कुंजी के करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कुंजी संवत 2071 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही मोजा कुंजी संवत 2074–77 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही कुंजी संवत 2073

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा



Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 4, सत्यप्रति नामान्तरण सं0 411 प्रदर्श 5, सत्यप्रति नामान्तरण सं0 91 प्रदर्श 6, सत्यप्रति जमाबंदी घोटडापटटा प्रदर्श 7प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कुंजी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में सुलतान के चार पुत्र भूपसिंह, बनवारी, महेन्द्रसिंह व भागचंद के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 27/28 के खसरा सं0 163 की 0.607है0, खसरा सं0 176 की 7.6380है0, खसरा सं0 285 की 2.6810है0 कुल 10.9260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार रोही घोटडापटटा के खाता सं0 82/83 के खसरा सं0 40/2 की 1.5810है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से खातेदारी दर्ज है व रोही घोटडा मंडरेणा के खाता सं0 32/32 के खसरा सं0 52 की 26.9360है0 में 213 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम यथावत रखते हुए शेष वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 27/28 के खसरा सं0 163 की 0.607है0, खसरा सं0 176 की 7.6380है0, खसरा सं0 285 की 2.6810है0 कुल 10.9260है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार रोही घोटडापटटा के खाता सं0 83/83 के खसरा सं0 40/2 की 1.5810है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 भूपसिंह व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी, प्रतिवादी सं0 3 महेन्द्रसिह, प्रतिवादी सं0 4 भागचंद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner